भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3130

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

सिंचाई सुविधा हेतु सुविधा

3130. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का गुजरात में दाहोद जिले के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि के विकास हेतु सिंचाई सुविधा के लिए आवश्यक बिजली कनेक्शन के माध्यम से कोई सहायता प्रदान करने का विचार है, तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार की आगे की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्‌युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्‌यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : गुजरात सरकार ने सूचित किया है वे गुजरात के दाहोड जिले के आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल एरिया सब-प्लान स्कीम (टीएएसपी) के जरिए कृषि के विकास के लिए अपेक्षित सिंचाई सुविधा हेतु विद्‌युत कनेक्शन के जरिए सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। विद्‌युत कनेक्शन वैयक्तिक कृषि आवेदकों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक को सिर्फ जमानत राशि, करार शुल्क तथा टैस्ट रिपोर्ट प्रभारों का ही भुगतान करना होता है, जबकि अन्य एचटी/एलटी इलेक्ट्रिक लाइन तथा ट्रांस्फॉर्मर प्रभारों की लागत गुजरात सरकार द्‌वारा वहन की जाती है।

(ख) : उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****